

मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

T.S No - 52
25.06.25

पत्रांक-मु0310-2/पा0-01-44/24

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषय-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, रजौली के अधीन शीर्ष MMGSY Awsesh (NDB) अन्तर्गत स्वीकृत कुल 06 (छः) पथों का निर्माण एवं छः वर्षीय रख-रखाव का निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक-1285 अनु0 दिनांक 23.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 06 (छः) अदद पथों के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
2. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के सशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरो की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल, गया ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विप्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आडी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आडी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा ववैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विप्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैंरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति सलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, रजौली के अधीन शीर्ष MGSY AWSESH (NDB) योजनान्तर्गत प्रावधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची -

क्र० स०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि निर्माण कार्य (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Roh Dumrama Path To Gita Nagar to Morma Yadav Tola	1.280	Letter NO 1166 Date- 03.06.2025	140.087	134.023
2	Block-Rajauli NH20 Hardiya More to Chaudhary Tola	1.060	Letter NO 1164 Date- 03.06.2025	147.572	151.514
3	Block-Sirdala Nababganj To Dhernout	2.050	Letter NO 1164 Date- 03.06.2025	171.554	165.699
4	Block-Meskaur Sar Manjhgama Path To Chhotki Tetariya	3.050	Letter NO 1164 Date- 03.06.2025	302.777	294.994
5	Block- Sirdala Hemzabharat To Sherpur Mahadalit Tola	0.900	Letter NO 1166 Date- 03.06.2025	108.830	104.90
6	Block- Rajauli Patrang Nala To Laxmipur Dangitola	2.800	Letter NO 1166 Date- 03.06.2025	351.830	340.964

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

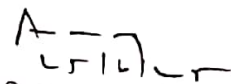
मुख्य अभियंता-2, (गया)

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांक - 25.06.25

ज्ञापाक- 1065

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, रजौली को सूचनार्थ एवं प्रक्कलन के अभिप्रेषणित प्रति सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-2, (गया)

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।